–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 105/2024

उनवान

गोरधन पुत्र मिश्री जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
-- वादी :– जरियें अधिवकता श्री सीतारात रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
---- प्रतिवादी :– जरियें राज. पैरोकार

2. भोली पत्नी मिश्री
3. रसाल
4. सुरता
5. सुमित्रा पि. मिश्री समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद

-- प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 2 अनुपस्थित
3 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 10.1.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5043/6699 रकबा 1.18, 5043/6314 रकबा 0.44 व 5370 रकबा 0.59 की आराजी वादी की खातेदारी/काश्तकारी की है। आधार जमाबंदी सम्वत् 2059 से 2078 में फूला पुत्र धीसा के नाम खातेदारी दर्ज थी। फूला की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। जिसके फूला व धीसा दोनो भाई थे। धीसा के वारिस वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण है। हाल खसरा नम्बर 5043/6314 वादी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी किन्तु 5043/6699 रकबा 1.18, व 5370 रकबा 0.59 वादी गोरधन पुत्र मिश्री के नाम दर्ज करने के बजाय वादी गोरधन के पिता का नाम मिश्री के बजाय फूला गलत अंकित कर दिया जबकि वादी का सही नाम गोरधन पुत्र मिश्री है। अतः आराजी मुतनाजा की में वादी का नाम गोरधान पुत्र फूला के बजाय गोरध्धन पुत्र मिश्री अंकित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 बावजूद तामीली [illegible]र किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के [illegible]

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख [illegible] किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

--2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:15:00 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5370 रकबा 0.59 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में फूला पुत्र घीसा के नाम, हाल खसरा नम्बर 5043/6699 रकबा 1.18 की आराजी गोरधन पुत्र फूला के नाम व हाल खसरा नम्बर 5043/6314 रकबा 0.44 गोरधन पुत्र मिश्री के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि फूला की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। जिसके फूला व घीसा दोनो भाई थे। घीसा के वारिस वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण है। जबकि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत शजरा प्रमाण पत्र अनुसार फूला व मिश्री भाई है। फूला के नाऔलाद फौत होने के तथ्य वादी द्वारा प्रस्तुत शजरे में अंकित नही है। हाल खसरा नम्बर 5370 के वंर्किग खसरा नम्बर 3528 फूला पुत्र घीसा के नाम गैर खातेदारी दर्ज था। शेष हाल खसरा नम्बर का साबिक राजस्व अभिलेख वादी द्वारा पेश नही किया गया है। खसरा नम्बर 5043/6699 में वादी का नाम गोरधन पुत्र मिश्री किस नामान्तकरण से दर्ज हुआ यह वाद में स्पष्ट नही किया है। ना ही उक्त आराजी का पुराना राजस्व अभिलेख पेश किया गया है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादी द्वारा फूला पुत्र घीसा की विरासत की क्या कार्यवाही पूर्व में की यह भी वादी ने स्पष्ट नही किया है। वाद के तथ्यों को सिद्व करने के लिये प्रकरण में मौखिक साक्ष्य भी पेश नही किये है।

उक्तानुसार ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5043/6699 रकबा 1.18 व 5370 रकबा 0.59 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:15:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्लाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गोरधन बनाम राज. सरकार

दावा बाबत – 88, 188 राज. का अधि0 1955, 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 105/2024
पेश करने की दिनांक – 03.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5043/6699 रकबा 1.18 व 5370 रकबा 0.59 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 1 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:15:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद